राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 198 मई 2016 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

संपादकीय

समाजशास्त्र में एक स्नातकोत्तर उत्तराखंड से 37 वर्षीया मुस्लिम महिला शायरा बानो ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की हैं जिसमें तीन बार 'तलाक' कहने की कानूनी मान्यता को चुनौती दी गई है। उसकी याचिका में कहा गया है कि तीन बार 'तलाक' को असंवैधानिक घोषित किया जाए क्योंकि यह मुस्लिम पुरुषों को महिलाओं पर व्यक्तिगत अधिकार रखने की अनुमति देता है।

याचिका को चुनौती देते हुए आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (ए आई एम पी एल बी) ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का इस कार्य को करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ इस्लाम धर्म, जो कुरान पर आधारित है न कि संसद द्वारा आधिनियमित कानून पर, के साथ अविच्छिन्न रुप से जुड़ा हुआ है। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता की जांच करने हेतु स्वतः कार्यवाही आरम्भ की है।

यहां यह कहना सुसंगत होगा कि एक ही बैठक में तलाक देने के ऐसे तरीके को कुरान में अनुमति नहीं दी गई है और पैगंबर ने स्वंय तलाक देने के पति के ऐसे पूर्ण अधिकार की निंदा की है और कहा कि जिन सभी बातों की अनुमति दी गई है उनमे तलाक सबसे अधिक निंदनीय है।

इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है कि 'तलाक' ने अनगिनत महिलाओं और बच्चों की जिंदगियां तबाह कर दी है और

चर्चा में **तीन बार तलाक कहने की प्रथा को समाप्त करना**

उन्हें घर विहिन कर दिया है और उन्हे महत्वपूर्ण वित्तीय समर्थन से भी वंचित कर दिया है।

यह सर्व विदित है कि पहले भी धार्मिक संगठनों ने तब काफी विरोध किया था जब 1955 और 1956 के बीच हिंदू कानूनो में सुधार किया जा रहा था और उन्हें संहिता बद्ध किया जा रहा था। जब 1889 के ईसाई तलाक कानूनों को 1991 में संसद द्वारा उदार बनाया जा रहा था तब ईसाई नेताओं द्वारा इसका विरोध किया गया था, परन्तु सरकार दृढ़ रही और हिंदु और ईसाई कानूनों में सुधार लाए गए जिनकी बहुत आवश्यता थी। अब मुस्लिम कानूनों के मामले में अपवाद क्यों किया जा रहा है ?

वास्तव में यह परीक्षा करने का समय आ गया है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ की पुरुषवादी व्याख्या के आधार पर महिला भेदभाव को महिला न्याय पर प्राथमिकता दी सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी तरफ से शायरा बानों के रुख का पूरा समर्थन करती है और इस बात को दोहराती है कि सभी धर्मो में महिलाओं की बराबरी पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

आखिर, तीन बार 'तलाक' कहने की प्रथा पर अनेक मुस्लिम देशो जैसे पाकिस्तान, टर्की, ट्यूनीशिया, सीरिया, मिस्र, मोरक्को, ईरान, इराक, सऊदी अरब, अलजीरिया और बांग्लादेश द्वारा रोक लगा दी गई है तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता ?

महत्वपूर्ण निर्णय

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेशन्स कोर्ट द्वारा एक बलात्कार दोषी को दी गई सजा तीन से बढ़ाकर सात वर्ष का कारावास कर दिया और कहा कि महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराध बढ़ रहे हैं और ऐसे अपराधों से कठोरता से निपटा जाना चाहिए और दोषियों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा,"बलात्कार न केवल किसी व्यक्ति के विरुद्ध बल्कि सामान्य रुपसे समाज के विरुद्ध भी एक जघन्य अपराध है। इसलिए अपराध होने के समय अभियोक्त्री की आयु पर विचार करते हुए यह कोई एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां न्यूनतम 7 बर्ष से कम की सजा दी जानी चाहिए।
- प्रधान मंत्री ने स्टैंडअप इंडिया स्कीम की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत 125,000 बैंक शाखाएं अ.जा./अ.जन.जा. और महिला उपक्रमियों को 10 लाख से 1 करोड़ का ऋण देंगी। प्रत्येक बैंक शाखा को कम से कम एक ऋण देना होगा। इस स्कीम से 250,000 नए उपक्रमी जुड़ेगे।
- भारतीय नौ सेना ने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देना आरम्भ कर दिया है, जबकि वह देश के पुरुष वर्चस्व वाले सशस्त्र बलों में युद्धपोतों पर उन्हें आने की अनुमति देने की नीति पर भी विचार कर रही है।
- मुम्बई डांस बारों के पक्ष मे उच्चतम न्यायालय के निर्णय से न केवल मुम्बई की लड़कियों को अपितु दूर के राज्यों से गांवों की अनेक लड़कियां को भी राहत मिली है। मुम्बई में डांस बारों के बंद होने के बाद, अनेक लड़कियां काफी रकम लेकर अपने गांवो को वापस लौट गई और वहां मकान बनाया। परन्तु आजीविका के लिए उन्हें वेश्यावृत्ति का धंधा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लड़कियो को अब आशा है कि वे पर्याप्त कमा सकेंगी ताकि उन्हें कभी वेश्यावृत्ति का धंधा पुनः अपनाना न पड़े।

मई, 2016 के महीने सें प्राप्त शिकायतें

महीना	प्राप्त शिकायते	शिकायतों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई	बंद
मई, 2016	2319	2134	961

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मई 2016 के महिने में 11 मामलों को स्वतः संज्ञान में लिया।

महिला राजनीतिक सशक्तिकरण दिवस

सामाजिक विज्ञान संस्थान ने 1993 में संवैधानिक संशोधनों के द्वारा स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए किए गए आरक्षण का समारोह मनाने के लिए "पंचायते और सतत विकास लक्ष्य" विषय पर 24 और 25 अप्रैल, 2016 को यूनीचेफ (यू.एन.आई.सी.ई.एफ.), एशिया फाउनडेशन एंड वाटर एड द्वारा प्रायोजित महिला राजनीतिक सशक्तिकरण दिवस मनाया। पूरे देश से लगभग 300 प्रतिनिधियों ने इस समारोह में भाग लिया।

तीन निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों, उत्तराखंड के देवल गांव से सुश्री हंसा देवी, तमिलनाडु में धर्मपुरी जिले से सुश्री डी माइला और उड़ीसा के रायागडा जिले से सश्री दिनजा जेकसिका को उत्कृष्ट महिला पंचायत नेता पुरस्कार प्रदान किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने इस विषय पर विस्तार से बोला कि सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते समय किस तरह से महिलाओं की इच्छा शक्ति और निर्णय मायने रखती है चाहे उनकी जाति अथवा धर्म कुछ भी हो। उन्होने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि आज भी नीति निर्माण और विकास के लिए योजना बनाने के चरण में महिलाओं को बहुत ही कम संख्या में शामिल किया जाता है।

इस अवसर पर बोलती हुई सुश्री मोनिका लेनजेटा मुटिस, कोलंबिया की राजदूत ने कहा कि कोलंबिया में 52 प्रतिशत जनसंख्या महिलाएं है और नगरपालिकाओं से चीनेट तक के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल की 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आराक्षित होती हैं।

सामाजिक विज्ञान संस्थान (आई एस एस) के अध्यक्ष डा0 जार्ज मैथ्यू ने दो दिवसीय प्रोग्राम के अपने समापन टिप्पणियों में पंचायतों मे महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित होने के बाद महिलाओं के राजनीतिक सशाक्तिकरण पर समारोह मनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिन अन्य लोगों ने बोला उनमे शामिल हैं–डा0 ऐश नारायण राय, निदेशक आई एस एस, डा0 बिद्युत महंती, प्रमुख, महिला अध्ययन, आई एस एस, सुश्री स्वाति मालिवाल और अन्य। सुश्री रेबेका आर टवारस, प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र महिला ने समापन भाषण दिया।

(बाए से) डा. जार्ज मैथ्यू, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम, तीन पुरस्कार प्राप्तकर्ता सुश्री मोनिका लेनजेटा मुटिस, डा0 ऐश नारायण राय, डा0 बिद्युत महंती

महिला उद्यमशीलता प्रोग्राम पर चर्चा

अध्यक्षा वालमार्ट इंडिया के महिला उद्यमशीलता विकास प्रोग्राम जो सफल व्यवसाय चलाने के लिए महिलाओं को पेशेवर कौशल से तैयार करने की एक पहल है, पर "महिला आर्थिक सशक्तिकरण के मार्ग मे चुनौतियो से निबटने के लिए क्षमता निर्माण" पर पैनल चर्चा में उपस्थित हुई।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा महिला उद्यमशीलता प्रोग्राम में भाषण करती हुई

राष्ट्रीय परामर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विश्व स्वास्थय संगठन के कंट्री आफिस द्वारा बेंगलुरु मे आयोजित "महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निबटने मे स्वास्थय सिस्ट्मस की भूमिका पर कार्यवाही की वैश्विक योजनाः भारत पर संभावित परिणाम" पर राष्ट्रीय परामर्श सत्र में उपस्थित हुई। वह डब्लयू ई कनेक्ट इंटरनेशनल द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वुमैन बिजीनेस एंटरप्राइज नेशनल कांउसल के नेशनल कांफ्रेस और बिजीनेस फेयर के दौरान "महिलाओं के आर्थिक सशाक्तिकरण की चुनौतियों से निबटने के लिए क्षमता निर्माण" पर पैनल चर्चा में भी उपस्थित हुई।

हिंदु न्यायप्रणाली पर सेमिनार

इंडिया फाउनडेशन द्वारा इंडियन काऊंसिल फार फिलॉसाफिकल रिसर्च (आई सी पी आर) के समर्थन से नई दिल्ली के आई आई सी में "हिंदु न्यायप्रणाली" पर एक 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया।

समापन सत्र में मुख्य भाषण देते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने कहा कि देश में पिछले कुछ समय से महिलाओं की स्थिति में "महत्वपूर्ण" सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं परन्तु अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होने कहा कि 1980 तक कानूनों में महिलाओं को लगातार वस्तु के रुप मे देखा जाता रहा है और महिलाओं की कमजोर आर्थिक स्थिति भी उन्हें उनके घरों तक सीमित रखने के लिए भी उत्तर दायी है। उन्होंने बराबरी के बजाए महिलाओं को बराबरी के अवसर देने की बात कही।

अध्यक्षा श्रोताओं को संबोधित करती हुई

असाधारण महिला

ग्रामीण राजस्थान से एक महिला मोरमबाई तंवर का विवाह 12 बर्ष की आयु में हो गया था और दो बर्ष बाद उसका तलाक हो गया। उसके बाद उसने 10 वीं क्लास तक अपनी शिक्षा पूरी की, फिर वह गुड़गांव कंम्प्युटर सीखने गई, एक बर्ष तक पंचायत समिति मे काम किया और गांव के प्रशासन का अच्छा अनुभव प्राप्त किया। बाद में वह राजनीतिक क्षेत्र में आई और राजस्थान के झालावाड़ जिले मे मनोहर थाना पंचायत समिति की एकमात्र महिला प्रखंड प्रधान बनी।

लोगों के सामने एक उदाहरण रखते हुए उसने अपने समुदाय मे एक शौचालय बनाया और लोगों को सफाई का महत्व बताया। विशेषकर उसका पति जिसने उसे वर्षो पहले छोड़ दिया था, आज उसके साथ है और वह उसके बी.एड को पूरा करने मे मदद कर रही है।

मारमबाई तंवर अति प्रतिकूल परिस्थिति के समक्ष अदम्य साहस और पूर्ण ईमानदारी की कहानी है, वह एक ऐसी महिला है जिसने वास्तविक अर्थो में अपने को सशक्त बनाया है।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय महिला आयोग ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेंज, मुम्बई के साथ सहयोग से पंचायत और जिला परिषद स्तरों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए क्षमता निर्माण माड्यूल विकसित किया है जिसका उदेश्य प्रशासनिक कौशल में उनकी क्षमताएं विकसित करना है। प्रशिक्षण माड्यूल में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और सुरक्षित रखने के लिए सामाजिक कानूनी और संवैधानिक ढ़ाचे को; राज्य द्वारा प्रायोजित स्कीमों और कल्याण कार्यक्रमों और संस्थानो की जानकारी, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर के ढ़ाचों को समझने पर जोर दिया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में (बाएं से) सदस्या सचिव प्रीति मदान, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा (मध्य में) सदस्या रेखा शर्मा और अन्य

इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें 40 निर्वाचित महिला प्रतिनिधि शामिल हुई थी, का उद्घाटन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम द्वारा राजस्थान के झालावाड़ जिले में किया गया था। सदस्या रेखा शर्मा, सदस्या सचिव प्रीति मदान, सुश्री रिचा ओझा, सुश्री अवनी बाहरी और झालावाड़ जिले के अधिकारी उपस्थित थे।

प्रोग्राम को आरम्भ करते हुए अध्यक्षा ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रशिक्षण महिलाओं को राजनीतिक रुप से सशक्त बनाएगा और वे पंचायत स्तरों पर प्रभावी शासन के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सीखेंगी। उन्हानें महिला प्रतिनिधियों में मुख्य संधटक के रुप में नेटवर्किंग की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि इससे महिलाओं को अपनी सामूहिक शक्ति का अधिक प्रभावी ढ़ग से उपयोग करने में सहायता मिलेगी।

पीछा करने वाले का मनोविज्ञान

पीछा करने वाले की पहचान

पीछा करने वाले के छः लक्षणः उत्तर में नहीं को स्वीकार नहीं करेगा; खब्ती व्यक्तिव; अकेला रहने वाला जिसके कुछ ही व्यक्तिगत संबंध हैंः अपराध बोध, शर्मिन्दगी अथवा असहजता का न होना, अपने प्रति आदर का भाव न होना, समाज में न घुलने–मिलने वाला, पिछले व्यवहार से न सीखने वाला।

आपका पीछा किया जा रहा है यदि आपके साथ ऐसा होता हैः बार–बार और जबरदस्ती लिखित सामग्री; कॉल अथवा ई–मेल का आना, अकारण ध्यान, उपहार अथवा फूल का दिया जाना, आपके घर, स्कूल अथवा कार्यालय के चक्कर लगाना, आपको या आपके परिवार, मित्र अथवा पालतू जानवर को नुकसान पहुंचाने की धमकियां, आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अथवा ऐसा करने की धमकी देना।

सदस्याओं के दौरे

❖ सदस्या सुषमा साहू विज्ञान भवन में हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में जिसकी अध्यक्षता महिला और बाल विकास मंत्री ने की, उपस्थित हुई। वह जन सुनवाई और नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में "मातृत्व हक के अधिकार प्राप्त करना और बाल देखभाल" पर एक राष्ट्रीय कनवेंशन मे उपस्थित हुई। श्रीमती साहू परामर्शदात्री सर्वेश कुमार पांडे के साथ जेल मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार महिला कैदियों की रहने की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए हरिद्वार और देहरादून के जिला जेलों में गई। वह अधीक्षक और अन्य जेल अधिकारियों से भी मिली। श्रीमती सुषमा साहू परामर्शदात्री स्मिता झा के साथ जेल रोड़ में निर्मल छाया नारी निकेतन और रोहिणी में मानसिक रोगियों के लिए आशा किरन शेल्टर होम गई और संवासियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में पूछने के लिए वहां अधिकारियों से मिली।

सदस्या सुषमा साहू आशा किरन के संवासिंयों के साथ

❖ सदस्य आलोक रावत पालम डाबड़ी रोड़, नई दिल्ली स्थित सुलभ ग्राम और सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आग्रेनाइजेशन गए। वृंदावन की विधवाओं के एक ग्रुप से और देश के विभिन्न भागों जैसे राजस्थान में टोंक और अलवर, बिहार में मिथिला क्षेत्र, हरियाणा के नूह और मेवात क्षेत्रों से और वाराणसी, कोलकाता आदि से हाथ से मैले की सफाई की सामाजिक बुराई से मुक्त हुई महिलाओ की ग्रुपों से भी बातें हुई। श्री बिंदेशवरी पाठक, संस्थापक, सुलभ इंटरनेशनल द्वारा आरम्भ टेक्नालाजीज को भी देखा और उसके बारे में चर्चा की।

वृंदावन की विधवाओं द्वारा सदस्य आलोक रावत का अभिवादन किया जाना

❖ सदस्या रेखा शर्मा एक उन्नीस वर्षीया लड़की, जिससे सशस्त्र लुटेरों के एक समूह ने बलात्कार किया था, का हाल पूछने फरीदाबाद में दासादिया गांव गई। लुटेरों ने परिवार के सदस्यों को पीटा और उनका सामान लेकर भाग गए। सदस्या परिवार के सदस्यों से मिली और हरियाणा के मुख्य मंत्री से इस मामले पर भी बात की। सदस्या रेखा शर्मा एक रिपोर्ट जिसमे "गुड़गांव के निकट लोगों द्वारा एक महिला को नशीला पदार्थ पीलाकर उससे बलात्कार किया जाना" के बारे मे कहा गया था, की जांच करने के लिए सुश्री अवनी बाहरी (जे टी ई) विधि के साथ गुड़गांव के बादशापुर गई। केरल में एक लॉ विद्यार्थी के साथ बलात्कार और उसकी हत्या को स्वतः संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने अध्यक्षा के नेतृत्व में एक जांच समिति नियुक्त की जिसमें श्रीमती रेखा शर्मा सदस्य थी। टीम जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, डी आई जी और पीड़िता के परिवार से मिली। बाद में अध्यक्षा, सदस्या रेखा शर्मा और सदस्या सचिव मुख्य चुनाव आयुक्त, दिल्ली से मिले और उन्हें केरल हत्या मामले से अवगत कराया। सदस्या महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित बच्चों के विरुद्ध हिंसा समाप्त करने के लिए साउथ एशिया इनीशिएरिव की चौथी बैठक में उपस्थित हुई। श्रीमती शर्मा ने राष्ट्रीय महिला आयोग और नौ राज्य महिला आयोगों के प्रतिनिधियों के बीच एक परस्पर वार्ता बैठक आयोजित की जिसमें एक दूसरे की समस्याओं के बारे में चर्चा हुई और समाधान दिए गए। सदस्याएं लालडिंगलियानी साइलो, सुषमा साहू और सदस्या सचिव प्रीति मदान भी उपस्थित थी। विभिन्न सत्रों में निम्न चर्चाएं हुई; स्वतः संज्ञान में लेने की प्रक्रियाएं; शिकायतों से निबटना; एन आर आई विवाहों से उठने वाली समस्याएं; शिक्षा, प्रचार और संवेदनशीलता के द्वारा जागरुकता पैदा करने की आवश्यक्ता; सेमीनार, कार्यशाला, जागरुकता कैंप, महिला संबंधित कानूनों और साइबर अपराधों से निबटने मे पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण करने के लिए कार्ययोजनाए। सदस्या लालडिंगलियानी साइलो और सुश्री लीलाबती, समन्वयक, पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ नई दिल्ली में नानकपुरा में पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिए स्थापित विशेष यूनिट में गईं उन्होने विशेष यूनिट के प्रभारी श्री रोबिन हिबू, दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त से भी चर्चा की।

सदस्याएं रंखा शर्मा और लालडिंगलियानी साइलो (मध्य में) अन्य के साथ परस्पर वार्ता बैठक में

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा बेबसाइट : www.ncw.nic.in

Published by the National Commission for Women, 4 Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110002. Editor : Gouri Sen.
Printed at Akanksha Impression, 18/36, Street No. 5, Railway Line Side, Anand Parbat Indl. Area, New Rohtak Road, New Delhi-5